कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/एफ-7/1/2003/10-06/निस्तार/953 भोपाल, दिनांक 27-2-2003

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषयः- निस्तार सुविधा के अन्तर्गत कूपों से तथा नाभिकीय डिपो से प्रदाय किये जाने वाल चट्टे ट्रेक्टर द्वारा परिवहन कराने की अनुमति देने विषयक ।

संदर्भः- इस कार्यालय का पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-7/1/2003/10-06/निस्तार/875 दिनांक 25-2-2003.

----0----

कूप से ट्रेक्टर द्वारा निस्तार सामग्री के परिवहन हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया जावेः-

(1) कूप से इमारती लकड़ी की निकासी पहले पूर्ण कर ली जावे ।

(2) प्रत्येक वन मंडल में किन कूपों में कितने जलाऊ चट्टे इस वर्ष उत्पादित हो रहे है एवं निस्तार प्रदाय के लिये उपलब्ध है, इसका प्रचार प्रसार वन समितियों, जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों में जो वनों से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित है, को वन मंडलाधिकारी द्वारा माह फरवरी में करा दी जाए ।

(3) निस्तार प्रदाय के लिये एक सीमित अवधि वनमंडलाधिकारी द्वारा पूर्व से निर्धारित की जावे, जिसके दौरान समिति सदस्यों को वन कर्मचारियों की उपस्थिति में जलाऊ चट्टों की निकासी दी जावेगी । जलाऊ चट्टे उन्हीं को दी जावेगी जो निस्तार व्यवस्था के अनुसार वन समिति/सरपंच के प्रमाण पत्र लायेगें ।

(4) समिति/पंचायत के प्रमाण पत्र पर चट्टों का प्रदाय नियमानुसार निस्तारी पुस्तिका में निर्धारित दर पर मनि रसीद से वसूल कर समितियों को प्रदाय किया जायेगा ।

हस्ता.

नि.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/एफ-7/1/2003/10-06/निस्तार/954 भोपाल, दिनांक 27-2-2003

प्रतिलिपिः- समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) उत्पादन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ता.

नि.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल